## मदिरा दुकान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (लॉटरी/प्रथम आवक प्रथम पावक/अधिकतम ऑफर हेतु)

| दुकान का प्रकार | दुकान का नाम |
|---|---|
| | |

### वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक

**देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा–5घ) हेतु आवेदन पत्र।**

**(मदिरा की फुटकर दुकान हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 में निर्धारित शर्तो के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते है)**

(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

| |
|---|
| आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ |

1. आवेदक का नाम..........................................................................
2. पिता/पति का नाम......................................................................
3. आयु ................................
4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............./.............
5. लिंगःपुरूष/महिला....................................
6. स्थाई पता..................................................................................

   मकान नम्बर..........................................................................

   नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..............................................

   थाना/पटवारी पट्टी..........................................................

   तहसील/उप तहसील........................................................

   जिला..............................................उत्तराखण्ड।

   दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).................................................

   मोबाईल नम्बर ..........................................................................
7. फर्म/कंपनी आदि आवेदक होने की दशा में फर्म/कंपनी का ब्यौरा–

   फर्म जीएसटी / कंपनी CIN नंबर–

   फर्म/कंपनी पैन–

   फर्म/कंपनी के साझेदार/डायरेक्टर के नाम –
8. आवेदक का पैन नम्बर...............................................................................
9. आई०टी०आर०का विवरण ........................................................................
10. आधार कार्ड नम्बर ...................................................................
11. नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा दुकान का विवरण.............................................
12. जनपद..............................................

CamScanner

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें:–

सह आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. सह आवेदक का नाम.........................................................................
2. पिता/पति का नाम.........................................................................
3. आयु ..............................
4. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष............./............./.............
5. लिंग:पुरूष/महिला.................................
6. स्थाई पता.........................................................................
   मकान नम्बर.........................................................................
   नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..............................................
   थाना/पटवारी पट्टी.........................................................
   तहसील/उप तहसील.........................................................
   जिला..............................................उत्तराखण्ड।
   दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)...............................................
   मोबाईल नम्बर .........................................................................
7. पैन नम्बर.........................................................................
8. आई०टी०आर०का विवरण.........................................................................
9. आधार कार्ड नम्बर .........................................................................
   (i) दुकान का नाम.................................................
   (ii) दुकान का प्रकार..............................................
   (iii) कुल निर्धारित राजस्व किया जाता है :–
   वित्तीय वर्ष 2025–26 (अंको में)......................................(शब्दों में)...........................................
   (iv) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2025–26) रूपये
   (अंको में)....................................:(शब्दों में)..........................................
   (v) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2025–26) रूपये (अंको में)...
   ...........................................(शब्दों में)................................................
10. **आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण–**
    **बैंक का नाम– .....................................  डी0डी0संख्या ...................... धनराशि............**
11. **धरोहर राशि का विवरण –**
    **बैंक का नाम– .....................................  डी0डी0संख्या ...................... धनराशि............**
12. **(1) आवेदक/अनुज्ञापी द्वारा मदिरा दुकान के निर्धारित वार्षिक राजस्व के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर टर्म जीवन बीमा की धनराशि रू0 .......................................**
    **(2) नॉमिनी/Assignee का नाम/पदनाम ............................................**
    **(3) बीमा/इन्सोरेन्स कम्पनी का नाम .....................................................**
    **(एल0आई0सी0 व यूनाईटेड इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी से कराया जाना अनिवार्य होगा।)**
13. आधार संख्या ....................................................... व छायाप्रति संलग्न करें

स्थान................................
दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

CamScanner

## आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक ........................................... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 12 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान आवंटन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा वांछित दस्तावेज व प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.................................

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

CamScanner

**(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)**

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी.................................................................पुत्र/पत्नी/पुत्री........................ ............................................निवासी.....................................................................देशी मदिरा फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (सी०एल०–5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (एफ०एल०–5घ)..... ..........................................................................................हेतु लॉटरी आदि के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।

दिनांक..................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय............................

CamScanner

**प्रारूप–2**

**उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के तहत**

**वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा–5घ) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ (आवेदक व सह आवेदक द्वारा अलग–अलग) प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप (लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर)**

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा

**शपथ पत्र**

**(10रुपये के Non Judicial Stamp पर नोटराइज्ड कराकर दिया जाएगा)**

शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ/करती हूँ कि –

1. यह कि शपथकर्ता........................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी................................................आयु............................................................अनुज्ञापन संख्या/देशी/विदेशी मदिरा दुकान...............................................जनपद..........................................का वर्ष 2025–26 हेतु आवेदक है।

   **पता वर्तमान निवास**

   मकान नम्बर.........................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक................................................................ ............थाना/पटवारी पट्टी.......................................तहसील/उपतहसील............................................... जिला.......................................

   **पता स्थाई निवास**

   मकान नम्बर.........................................नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक................................................................ ............थाना/पटवारी पट्टी.......................................तहसील/उपतहसील............................................... जिला.....................................शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :–

2. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान ..........................................जिला.................................... के अनुज्ञापन **वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक)** हेतु आवेदन करने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी शर्तो के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
5. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील.......... ..........................जिला.................................का स्थाई निवासी है।
6. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
7. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं

अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।

8. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।

9. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान आवंटित की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नही कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का आवंटननिरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

10. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के आवंटन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।

11. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2025–26 हेतु आवेदन कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा। यह कि शपथकर्ता के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरति एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व **अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025** एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है। यह कि आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 के अनुरूप मद्यनिषेध क्षेत्र के प्रावधान व नियमावली में उल्लिखित मदिरा दुकान की प्रस्थिति का अनुपालन करेगा।

12. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।

13. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

14. यह कि शपथकर्ता द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।

15. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद...................................... में जमा करा दिए हैं।

16. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2025–26 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, **अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025** के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नही होगी।

17. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2025–26 (31 मार्च 2026 तक) में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीतिविषयक नियमावली–2025–26, 2026–27 हेतु **अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025** के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नही करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

18. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नही करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।

19. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम–1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025 को भली भाँति समझ लिया है।

CamScanner

शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वर्ष 2025–26 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाने के उपरांत वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/राजस्व वापसी की मांग नहीं करेगा तथा निरस्तीकरण के उपरांत पुनर्व्यवस्थापन नहीं होने की दशा में या पुनर्व्यवस्थापन में हुई राजस्व की क्षति/शॉर्टफाल की भरपाई के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

20. यह कि शपथकर्ता 2025–26 हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस), निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली–भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

21. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

22. यह कि शपथकर्ता आवेदनकरने के उपरांतआवंटन की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटननिरस्त कर दिया जाए।

23. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता/रखती है या कारोबार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा लाइसेंस प्राधिकारी को आवश्यक होने पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

24. यह कि शपथकर्ता सक्षम अधिकारी/अधिकृत वैल्यूअर द्वारा जारी धारित संपत्ति प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी हैसियत आवेदित दुकान के अनुज्ञापन हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 के अनुरूप पर्याप्त है।

25. यह कि शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के निर्धारित वार्षिक राजस्व के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर टर्म जीवन बीमा और मदिरा के मासिक अधिभार के समतुल्य मदिरा स्टॉक के लिये यथा समय बीमा कराया जायेगा। इस टर्म बीमा के नॉमिनी/Assignee सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को बनाने में मुझे कोई अपत्ति नही है, किन्तु अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर नॉमिनी बदलने का अधिकार शपथकर्ता का होगा।

26. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रेषित सूचनाएं सही एवं सत्य है तथा लाइसेंस की शर्तो, प्रतिबंधों एवं **अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025** को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु पूर्ण रूप से समझ लिया है, उक्त प्रतिबंधों,नियमों, शर्तो का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में अनुज्ञापन निरस्त किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी और शपथकर्ता इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।

27. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रेषित सूचनाएं सही एवं सत्य है तथा लाइसेंस की शर्तो, प्रतिबंधों एवं **अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025** को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु पूर्ण रूप से समझ लिया है, उक्त प्रतिबंधों,नियमों, शर्तो का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में अनुज्ञापन निरस्त किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी और शपथकर्ता इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 27 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान............................................

दिनांक.........................................समय...............................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान...........................................दिनांक..................

CamScanner